प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –814 / 2022
अनवान : –

1. दया नन्द ज्याणी पुत्र रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. भरत कुमार पुत्र रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मोहिनी पत्नी रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामा पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सीता देवी पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. नीलम रानी पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सुभाष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 02.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 109 / 101 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8850 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 95 / 89 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है पूर्व में उपरोक्त भूमि वादी संख्या 1 ता 2 व वादीया संख्या 3 के ससुर हरलाल पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज थी जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस गुड्डी पुत्री, रोहिताश पुत्र व सुभाष पुत्र हुए जिनमें गुड्डी पुत्री हरलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है तथा रोहिताश पुत्र हरलाल फोत हो चुका है जिनके वारिस वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीया संख्या 5 ता 6 हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा वह अपने माता व मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 ता 6 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 को कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याक उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 अकेला काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 109/101 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8850 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि उक्त दोनों खातो की भूमि में कृष्ण कुमारा, रामा, सीमा देवी, नीलम रानी पुत्र पुत्रीया गुडडी कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इसलिए मृतक गुडडी पुत्री हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि दयानन्द ज्याणी, भरत कुमार पुत्रगण रोहिताश ज्याणी व मोहिनी पत्नी रोहिताश ज्याणी संयुक्त रूप से दर्ज की जावें व 1/2 हिस्सा भूमि सुभाष पुत्र हरलाल के नाम यथावत रखी जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायें जाने से भी फरिकेन व वारिसान सहमत है किसी प्रकार का उज्र व एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 7 जेएसएन जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता स0 109/101 प्रदर्श–1, रोही मौजा 5 जेएसएन खाता संख्या 95 जमाबंदी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र तस्दीक प्रदर्श–3, बयान हल्फिया छोटूराम प्रदर्श–4, रिपोर्ट संरपंच व नम्बरदार प्रदर्श–5, मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सब हैल्थ केयर पीलीमंदौरी प्रदर्श–6, जमाबंदी रोही मौजा 7 जेएसएन सम्वत 2074–77 खाता संख्या 113 प्रदर्श–7, जमाबंदी रोही मौजा 5 जेएसएन खाता संख्या 96/89 प्रदर्श–8, नम्बरदार पीलीमन्दोरी (फतेहाबाद) व सरपंच ग्राम पंचायत फतेहाबाद तथा चौकीदार द्वारा शान्ति उर्फ गुडडी की मृत्यु के संबंध में तस्दीक रिपोर्ट प्रदर्श–9, उपतहसीदार भटटू कला (फतेहाबाद) द्वारा तस्दीक वारिसान प्रमाण पत्र एवं मृत्यु की तस्दीक प्रदर्श–10, ब्यान हल्फिया छोटूराम पुत्र रेखाराम प्रदर्श–11 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 109/101 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8850 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–4 ता 7 द्वारा वारिसान तस्दीक एवं गुडडी उर्फ शान्ति की मृत्यु तस्दीक के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया गया है, जिसके मुताबिक व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक गुडडी देवी उर्फ शान्ति के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण पक्षकारान की आपसी राजीनामा एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण पक्षकाराना के आपसी राजीनामा एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 109/101 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8850 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि दोनो खातो की भूमि में मृतक गुडडी पुत्री हरलाल व प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –814/2022

अनवान : –

1. दया नन्द ज्याणी पुत्र रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. भरत कुमार पुत्र रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मोहिनी पत्नी रोहिताश ज्याणी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामा पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सीता देवी पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. नीलम रानी पुत्री गुड्डी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सुभाष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 814 सन 2022 निर्णय दिनांक 02.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 109/101 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8850 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि दोनो खातो की भूमि में मृतक गुडडी पुत्री हरलाल व प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना